



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001
14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road) Kolkata – 700001
www.teaboard.gov.i

दिनांक 3 दिसंबर, 2025

अधिसूचना

विषय: चाय निर्माताओं द्वारा फॉर्म 'ई' के तहत प्रदान की गई जानकारी के संकलन के लिए एसओपी

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 7 के तहत, प्रत्येक पंजीकृत निर्माता को पंजीयन प्राधिकारी को फॉर्म 'ई' में मासिक विवरण देनी होगी। यह विवरण मासिक आधार पर हर महीने, पिछले महीने के लिए, उस महीने की 7 तारीख या उससे पहले जमा करना होगा। विवरण बोर्ड के eGiCCS पोर्टल के कैं मध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। हर निर्माता को ऑनलाइन पोर्टल पर जाने और सभी अनिवार्य क्षेत्र के साथ फॉर्म जमा करने के लिए आईडी और पासवर्ड दिया गया है।

फॉर्म-ई मासिक विवरण में उत्पादन का विवरण, बिक्री और चाय अपशिष्ट विवरण से संबंधित अलग-अलग जानकारी शामिल होती है। इसमें लघु चाय उत्पादकों को हरी पतियों की आपूर्ति के लिए दी गई राशि और निजी बिक्री आंकड़ा भी शामिल होता है।

ये आंकड़े सटीक आंकड़े तैयार करने और लघु चाय उत्पादकों के लिए मूल्य-साझाकरण सूत्र को सही ढंग से लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी पॉलिसी और अन्य संबंधित मामलों के लिए, पंजीकृत निर्माताओं द्वारा फॉर्म-ई को समय पर जमा करना अनिवार्य और अत्यंत आवश्यक है।

हालांकि, यह देखा गया है कि बहुत कम निर्माता ही समय पर फॉर्म-ई विवरण जमा करते हैं, जिससे बकाएदारों की संख्या ज्यादा बनी रहती है, इसके अलावा, सभी आवश्यक क्षेत्र भी नहीं भरे जाते हैं।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके अनुसार निम्नलिखित एसओपी जारी की जाती है -

ध्यान दें: बोर्ड ने विनिर्माण इकाई की सामीप्य के आधार पर कुछ कार्यालय/अधिकारी तय किए हैं और उन्हें फॉर्म-ई जमा करने की सुविधा दी है, ताकि वे ऐसी फाइलिंग की जांच और निगरानी कर सकें।

उक्त फॉर्म-ई में दी गई जानकारी के अनुपालन और जांच-पड़ताल के लिए, निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाती है:

Manufacturers (Factories)	Designated Field Officers	Statistics Branch
- सभी विनिर्माता को अगले महीने की 7 तारीख तक फॉर्म-ई विवरण जमा करना होगा। इसमें सभी ज़रूरी जानकारी और सटीक आंकड़े शामिल होना चाहिए, जैसे कि लघु चाय उत्पादकों को दी गई हरी पतियों की कीमत और निजी बिक्री आंकड़े (जीएसटी विवरण से मिलान करने के लिए विक्रय पंजिका के अनुसार) - फॉर्म-ई विवरण जमा न करने, देर	- आंचलिक कार्यालय को अपने-अपने क्षेत्रों के क्षेत्र अधिकारी की सूची बोर्ड की सांख्यिकी शाखा को देनी होगी, ताकि आवश्यक मानचित्रण के लिए उन्हें फ़ैक्टरियों के साथ मानचित्रण किया जा सके अगर वे पहले से मानचित्रण नहीं हैं। - क्षेत्र अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म-ई विवरण समयोचित जमा किए जाएं और	- क्षेत्रीय प्रस्तुतिकरण की स्थिति ट्रैक करें। - नियमों का पालन न करने के मामलों पर नज़र रखें और उन्हें नियंत्रण प्राधिकारी तक पहुँचाएँ। - समीक्षा के लिए मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करें।

से जमा या अधूरा विवरण जमा करने को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके कारण विनिर्माता का अनुज्ञापन निलंबन या रद्द किया जा सकता है।	उनमें सभी जानकारी सही-सही भरी गई हो। क्षेत्र अधिकारियों को समय-समय पर विनिर्माता द्वारा भरी गई जानकारी की सत्यता की जांच करनी चाहिए। • किसी भी तरह की नियमों की अनदेखी या विसंगतियों की सूचना समाधान या आगे की कार्रवाई के लिए सांख्यिकीविद् को दें।	
--	---	--


 (डॉ. ऋषिकेश राय)
 सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1	सभी उत्पादक संघ	इस अधिसूचना की सामग्री अपने सदस्यों के ध्यान में लाने क अनुरोध सहित। कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2	सभी चाय फैक्ट्री संघ	
3	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड कून्नूर एवं टी बोर्ड गुवाहाटी	
4	सभी आंचलिक कार्यालय	
5	सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष, वि स एवं मु ले अ और सचिव को छोड़कर)	
6	वि स एवं मु ले अ के निजी सहायक	कृपया वि स एवं मु ले अ के जानकारी के लिए।
7	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	कृपया उपाध्यक्ष के जानकारी के लिए।
8	आईटी कक्ष	इस सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9	स्थापना शाखा	
10	गार्ड फ़ाइल	

संदर्भ फ़ाइल सं. आँकड़े- मोटर0प्रोड/1/2025-सांख्यिकी